

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 4(7)नविवि-ग / 2019 पार्ट

जयपुर, दिनांक 1 OCT 2020

आज्ञा

इस विभाग के समसंब्यक आदेश दिनांक 25.9.2020 के द्वारा
श्री ओ० पी० वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, कोटा का अति० मुख्य अभियन्ता
अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन
एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

Sd.

संयुक्त शासन सचिव

- प्रतिलिपि: निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
 2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिवत, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
 3. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग
 4. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
 5. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
 6. संबंधित कार्मिक।
 7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड
करने हेतु।
 8. रक्षित पत्रावली।

(३३)

संयुक्त शासन सचिव